

**मुख्य ऐलान**

**इन्फ्रास्ट्रक्चर**  
 अमृतसर-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज-4 शुरू होगा। जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएंगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होगा।

**उद्योग**  
 मूद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। खरीदारों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए एमएसएमई सैक्टर में 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सके, इसके लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे।

**नौकरियां**  
 रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू। पहली नौकरी पर 1 लाख रुपए से कम की सैलरी पर 15,000 रुपए की मदद सरकार करेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ के अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी।

**अपना घर**  
 पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किफायती दरों पर लोन मिल सके, इसके लिए ब्याज सबसिडी भी शुरू होगी।

**शिक्षा**  
 देशभर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3 प्रतिशत का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए ई-वाऊचर्स आएं, जो हर साल एक लाख छात्रों को मिलेंगे।

**महिलाएं**  
 महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित। वॉकिंग वूमैन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और कैंच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

**इलैक्ट्रॉनिक्स**  
 मोबाइल फोन और मोबाइल वाजर्न को लगाने वाली बैरिक कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया। कुछ दूरसंचार उपकरणों का आयात महंगा होगा।

**कॉर्पोरेट**  
 ई-कॉमर्स अप्रेंटिस पर टीडीएस की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की गई।

**सर्कारी पेंशनर्स को 25,000 रुपए तक की मिलेगी छूट!**  
 निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए फैंमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। फैंमिली पेंशन पर छूट 15,000 रुपए सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसका मतलब है कि पेंशन पर होने वाली किमाई पर फैंमिली पेंशन का लाभ लेने वाले सरकारी पेंशनर्स 25,000 रुपए तक के टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। जो पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है।

**सोना, चांदी, इंपॉर्टेड मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती**

नई दिल्ली, 23 जुलाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया जिसमें सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा के बाद सोना, चांदी तथा अन्य कीमती धातुओं के साथ-साथ आयातित मोबाइल फोन, कुछ कैंसर की दवाएं और चिकित्सकीय उपकरण भी सस्ते होने की उम्मीद है। हालांकि, आयातित बड़ी छतरियां तथा प्रयोगशाला रसायन जैसी कुछ वस्तुएं भी मूल सीमा शुल्क में वृद्धि के कारण महंगी हो जाएगी।


**सस्ती-महंगी वस्तुएं**

**सस्ता...**  
 सोने की छड़ व 'डोर', चांदी की छड़ व 'डोर', प्लेटिनम, पैलेडियम, ओस्मियम, रूथेनियम और इरिडियम कीमती धातुओं के सिक्के, आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के निर्माण में उपयोग के लिए सभी प्रकार के पॉलीइथिलीन, चिकित्सकीय, शल्य चिकित्सकीय, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए एक्स-रे ट्यूब, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में उपयोग के लिए प्लेट पैनल डिटेक्टर (सिंटिलेटर सहित), आयातित सैल्युलर मोबाइल फोन, चार्जर/एडाप्टर, सैल्युलर मोबाइल फोन की प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (पीसीबीए), सौर सेल या सौर मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए निरिद्धि पूंजीगत सामान, ऐसे पूंजीगत सामान के विनिर्माण के कलपुर्ज, शिया नट, महत्वपूर्ण खनिज, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड, पोटेसियम के नाइट्रेट, इत्यादि क्षेत्र में फेरो निकेल तथा ब्लिस्टर कॉपर, कपड़ा और चमड़ा क्षेत्र में 'सू-स्टेबल यार्न' के निर्माण में उपयोग होने वाले मेशिनरी डाइफेन्सिल डाइ-आइसोसायनेट (एमडीआई)।

**महंगा...**  
 पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) प्लेक्स फ्लैम (जिन्हें पीवीसी प्लेक्स फ्लैम या पीवीसी प्लेक्स शीट भी कहा जाता है), बड़ी छतरियां, प्रयोगशाला रसायन, सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास सौर सेल या सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए टिनयुक्त तांबा इंटरकनेक्ट।

**1 दिन में 3400 रुपए तोला तक टूटी सोने की कीमतें**

सवेरा न्यूज/प्रतीक  
 लुधियाना, 23 जुलाई: भारत सरकार ने आम बजट में सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15 से घटाकर 6 फीसदी कर दी। मंगलवार को बाजार बंद होने तक सोने की कीमत 3400 रुपए तोला (प्रति 10 ग्राम) व चांदी की कीमत 4 हजार रुपए किलो तक टूट गई। मंगलवार को सोने (24 कैरेट) की कीमत 75200 रुपए पर खुली थी, किन्तु इंपोर्ट ड्यूटी घटने की घोषणा होने के बाद बाजार बंद होने तक कीमत 71800 रुपए तोला तक आ गई। चांदी की कीमत 92000 रुपए किलो से कम होकर 88000 रुपए किलो तक आ गई। लुधियाना ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रधान आनंद सीकरी ने बताया कि देश भर के ज्वेलर्स लंबे समय से सोने-चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की मांग कर रहे थे। इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 6 फीसदी किया जाना एक बेहद सराहनीय फैसला है। इससे सोने चांदी की समग्रता पर काफी हद तक रोक लगेगी। महासचिव मनोज डांडा का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से सोने-चांदी की कीमतों पर काफी हद तक लगाम लगेगी। कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के चलते ग्राहक ने बाजार से दूरी बना ली थी। उम्मीद है कि इस फैसले से सोने एवं चांदी के आभूषण व्यवसाय को बल मिलेगा।



**सरकार की रोजगार को बढ़ावा देने को ईपीएफओ के जरिए 3 योजनाओं की घोषणा पहली बार ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़ने वालों को एक महीने का वेतन देगी सरकार**

3 किस्तों में दिया जाएगा एक महीने का वेतन, जो अधिकतम 15,000 रुपए तक होगा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए कामगारों के लिए ईपीएफओ के जरिए 3 योजनाओं की घोषणा की। इन योजनाओं के लिए कुल केंद्रीय परिव्यय 1.07 लाख करोड़ रुपए है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि ये योजनाएं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार इससे जुड़ने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देगी। इनसे कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन मिलेगा। उन्होंने सदन को बताया कि सभी संगठित क्षेत्रों में पहली बार ईपीएफओ की योजनाओं से जुड़ने वालों को योजना-क के तहत एक महीने का वेतन सरकार देगी। ईपीएफओ में पहली बार प्रकृत होने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन दिया जाएगा, जो अधिकतम 15,000 रुपए तक होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सीमा एक लाख रुपए प्रति माह वेतन होगी। इस योजना-ख के तहत सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक 3,000 रुपए प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

योजना-ग से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। तीनों योजनाओं के लिए कुल केंद्रीय परिव्यय 1.07 लाख करोड़ रुपए (योजना-क के लिए 23,000 करोड़ रुपए, योजना-ख के लिए 52,000 करोड़ रुपए और योजना-ग के लिए 32,000 करोड़ रुपए) होगा।

**बजट अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करेगा**  
 आम बजट दूरदर्शी, जनहितैषी और विकासोन्मुखी है। यह रोजगार तथा अवसरों के एक नए युग की शुरुआत करके देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने की राह पर ले जाएगा। बजट भारत की उद्यमशीलता को बढ़ाने और व्यापार करने में सुगमता के साथ आर्थिक विकास को दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'दृढ़ प्रतिबद्धता' को दर्शाता है।  
 -अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

**प्रॉपर्टी बेचने पर अब लगेगा झटका!, टैक्स तो घटा लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर मिलने वाला इंडैक्सेशन बैनिफिट खत्म**

**इस मसले को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं**

**नए नियम से कैसे बढ़ेगी टैक्स देनदारी?**

मान लीजिए आपने फरवरी 2013 में एक प्रॉपर्टी 55 लाख रुपए में खरीदी थी। अगर आप उस प्रॉपर्टी को अभी 1.35 करोड़ रुपए में बेचते हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80 लाख रुपए होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के खरीद मूल्य में इंडैक्सेशन बैनिफिट जोड़ने के बाद उसकी एडजस्टेड लागत 90.75 लाख रुपए आ जाएगी। इस हिसाब से आपका कैपिटल गेन 44.25 लाख रुपए ही बचेगा। इतने कैपिटल गेन पर पिछले रेट के हिसाब से आपको 20 फीसदी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना था, जो करीब 8.85 लाख रुपए बैठता।

लेकिन अब आपको इस पर कोई इंडैक्सेशन बैनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको पूरे 80 लाख रुपए पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। यानी एलटीसीजी टैक्स की 12.5 फीसदी की नई दर के हिसाब से आपको 80 लाख रुपए के टैक्स का प्रतिपूर्ति लाभ पर पूरे 10 लाख रुपए टैक्स के तौर पर भरने होंगे। यानी इस उदाहरण में आपको पूरे 1 लाख 15 हजार रुपए का घाटा उठाना पड़ेगा। यह सारा कैलकुलेशन हमने इंडैक्सेशन बैनिफिट के एक ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से किया है।

जारी किया जाता है। पुरानी लागत को सीआईआई के आधार पर एडजस्ट करने को ही इंडैक्सेशन बैनिफिट कहते हैं। इस इंप्लेशन एडजस्टेड कॉन्स्ट को प्रॉपर्टी के बिक्री मूल्य से घटाने पर जो मुनाफा निकलता था, उस पर ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था।

बजट में घोषित नए नियम के तहत प्रॉपर्टी भले ही 10-15-20 या 25 साल पहले खरीदी गई हो, उसके उस वक्त के ओरिजिनल खरीद मूल्य को ही वास्तविक लागत मानकर कैपिटल गेन्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। भले ही आपने प्रॉपर्टी को कितने भी लंबे समय तक होल्ड किया हो और उस दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी हों, लेकिन प्रॉपर्टी बेचते समय आपको खरीद मूल्य में इंप्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जाहिर है, इस नए नियम से पुरानी प्रॉपर्टी बेचने वालों पर टैक्स का बोझ काफी बढ़ जाएगा।

**एसे होगा एलटीसीजी टैक्स का कैलकुलेशन**

- फरवरी 2013 में खरीदी प्रॉपर्टी की ओरिजिनल कीमत : 55 लाख रुपए
- प्रॉपर्टी बेचने का साल : 2024-25
- प्रॉपर्टी का बिक्री मूल्य : 1.35 करोड़ रुपए

**पुराने नियम के हिसाब से कैलकुलेशन**

- इंडैक्सेशन बैनिफिट के बाद प्रॉपर्टी की इंप्लेशन एडजस्टेड लागत : 90.75,000 रुपए
- लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन : 1,35,00,000-90,75,000 = 44,25,000 रुपए
- 44,25,000 के लाभ पर 20% की दर से एलटीसीजी टैक्स = 8.85 लाख रुपए

**नए नियम के हिसाब से कैलकुलेशन**

- इंडैक्सेशन बैनिफिट के बिना प्रॉपर्टी की लागत : 55 लाख रुपए
- इंडैक्सेशन बैनिफिट के बिना एलटीसीजी : 1.35 करोड़ रुपए-55 लाख रुपए = 80 लाख रुपए
- 80 लाख रुपए के लाभ पर 12.5% की दर से एलटीसीजी टैक्स : 10 लाख रुपए
- नए नियम की वजह से नुस्खान : 10 लाख-8.85 लाख = 1.15 लाख रुपए

**बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'वर्दान' है। यह एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वित्तीय योजना किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों को बढ़ावा देगी।**  
 -शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

Registration No.: MSC/CR/803/2013  
 Regd. Office: 604 A, Pearls Business Park, Noida, New Delhi-110 034  
 Ph. No.: 011-27355609  
 Email: info@kisanagrotech@gmail.com  
 All the Statutory Registrations are in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013.  
 Notice is hereby given that the Special General Meeting of the Members of M/s. Kisan Agro-Tech Cooperative Society Limited will be held on Friday, the 2nd day of August, 2024 at 11:30 A.M. at the Registered Office of the Society situated at 604 A, Pearls Business Park, Noida, Suburb Phase, Yamuna Expressway, New Delhi-110 034 to transact the following business:-  
 1. Appointment of Statutory Auditors of the Society.  
 2. Addition of New Members in the Society.  
 You are requested to make it convenient to attend the Meeting.  
 For Kisan Agro-Tech Cooperative Society Limited  
 (Sd/-) Pawan Kumar Kausik  
 Vice Chairman  
 Place : New Delhi  
 Date : 17.07.2024  
 Note :  
 \* A member is not entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself.  
 \* Members are requested to immediately intimate any change in their registered address registered with the society.  
 \* All the Statutory Registrations can be inspected at the Registered Office of the society during the Business hours i.e. 09:30 to 05:30 PM.  
 Area of Operations : Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Punjab and Himachal Pradesh.